महत्वपूर्ण एवं खास

सीजी हाईकोर्ट के जस्टिस पी सैम कोशी का तेलंगाना ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट में दिया था स्थानांतरण का प्रस्ताव

बिलासपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जस्टिस पी सैम कोशी का तेलंगाना हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के बाहर दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रस्ताव को मान लिया और उनका स्थानांतरण तेलंगाना कर दिया गया। अब वे तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस होंगे। जस्टिस कोशी के तबादले के बाद अब छग हाईकोर्ट में 14 जज ही रह जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस कोशी के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 5 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय स्थानांतरण का प्रस्ताव रखा। न्यायमूर्ति कोशी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का अनुरोध किया था। इसके बाद कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बजाय तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। जस्टिस कोशी ने स्वेच्छा से अपना ट्रांसफर करने की मांग की थी।

14 जुलाई को फि र छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, चुनावी रणनीतियों पर करेंगे मंथन

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बचे हुए है। चुनाव को लेकर लगातार केंद्रीय मं?त्रियों का दौरा जारी है। कल ही पीएम मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान वे छत्तीसगढ़ वासियों को कई बड़ी सौगात दिए। साथ ही जन सभा को भी संबोधित किए। इसी बीच खबर आ रही है कि 14 जुलाई को एक बार फिर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार वे चुनावी रणनीतियों पर मथंन करेंगे। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन भी शामिल होंगे। क्चछवक्क नेताओं को मिले टास्क की भी जानकारी ले सकते हैं। इस दौरान विधायकों की सर्वे रिपोर्ट भी तैयार हो सकती है। साथ ही वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है।

नौकरी लगाने का झांसा देकर 7 लाख से अधिक की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। प्यून के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 70 लाख 10 हजार की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार वर्मा 50 वर्ष ग्राम माठ खरोरा का रहने वाला है। बताया जाता है कि आरोपी भूपेश कुमार सोनवानीी ने प्रार्थी के पुत्र लोकेन्द्र वर्मा व अन्य लोगों को एम्स में प्यून के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 70 लाख 10 हजार की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

युवक पर चाकू से हमला

रायपुर (आरएनएस)। चंडी नगर खम्हारडीह में युवक पर चाकू से हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थिया की शिकायत पर खम्हारडीह पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया नीशा धीवर 23 वर्ष ने थाना में शिकायत किया कि आरोपी राजू साहू व शिमो साहू ने प्रार्थिया के पति महेन्द्र धीवर से गाली-गलौज कर चाकू मारकर चोट पहुंचाया। प्रार्थिया की शिकायत पर खम्हारडीह पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

आरबीसी 6-4 में किसानों, पशुपालकों, कारीगरों और मछुआरों को मिलेगा आर्थिक सहायता

सारंगढ़ बिलाईगढ़। बरसात के मौसम में प्राकृतिक विपदा ज्यादा आती है। इस आपदा से प्रभावित व्यक्तियों पशु फसल आदि के लिए राज्य सरकार को ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल क्षति का क्लेम दिया जाता है।

लघु एवं सीमांत किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर की भूमि हो, को सहायता : कृषि भूमि से गाद निकालना जहां पर रेत या गाद निक्षेप की मोटाई 3 सेंटीमीटर से अधिक है, पर्वतीय क्षेत्र में कृषि भूमि से मलबा हटाना, गाद निकालना या पुनरुद्धार, मछली फार्मो की मरम्मत आदि आदि के लिए लाभार्थी द्वारा अन्य किसी सरकारी योजना के तहत कोई अन्य सहायता या सब्सिडी प्राप्त नहीं की गई है तथा वह उसको प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है इस शर्त के अधीन होगा। उपरोक्त प्रत्येक मद के लिए 18 हजार प्रति हेक्टेयर दी जाएगी। इस राशि में से प्रति किसान न्यूनतम 22 सौ रुपए की सहायता के अधीन है।

भूस्खलन हिमस्खलन नदियों के मार्ग बदलने के कारण हुई पर्याप्त भूभाग की हानि के लिए केवल उन छोटे और सीमांत किसानों को 47 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर दी जाएगी, जिनकी भूमि का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों के अनुसार वैध है। उपरोक्त राशि प्रत्येक किसान को न्यूनतम पांच हजार रुपए की सहायता के अधीन है।

कृषि बागवानी फसलों, रेशम कीट पालन में सहायता (इनपुट सब्सिडी जहां पर फसलों का नुकसान 33 प्रतिशत और उससे अधिक पर) : कृषि फसलों , बागवानी फसलों और वार्षिक बागान फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर 8 हजार 500 रुपए वर्षा सिंचित क्षेत्र में दी जाएगी। उपरोक्त सहायता प्रति किसान न्यूनतम एक हजार रूपये के अधीन है और वह क्षेत्रों तक सीमित है। 17 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में सहायता दी जाएगी। उपरोक्त सहायता प्रति किसान न्यूनतम दो हजार रूपए के अधीन है। बारहमासी फसलें, एग्रो फोरेस्ट्री (अपने खेतों में वृक्षारोपण) के लिए प्रति हेक्टेयर 22 हजार 500 रुपए सभी प्रकार की बारहमासी फसलों, कृषि वानिकी (स्वयं के खेत में वृक्षारोपण) के लिए और यह सहायता प्रति किसान न्यूनतम दो हजार 500 रुपए की सहायता के अधीन तथा बोए गए क्षेत्र तक सीमित है।

रेशम कीट पालन और उत्पादन में ऐरी, मलबरी, टसर के लिए प्रति हेक्टेयर 6 हजार रूपए, मूंगा के लिए प्रति हेक्टेयर 7 हजार 500 रूपए है। उपरोक्त सहायता प्रति किसान न्यूनतम एक हजार की राशि के अधीन है और बोए गए क्षेत्र तक सीमित है।

टिड्डी नियंत्रण के लिए पौध संरक्षण रसायनो खरीदी व छिड़काव के लिए स्प्रे उपकरणों के साथ वाहनों ट्रैक्टरों को पानी के टैंकरों को किराए पर लेना और टिड्डी नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार द्वारा आबंटन के हिसाब से दी जाएगी।

सेवाभूमि या देव स्थानी भूमि: सेवा भूमि या देवस्थानी भूमि का यदि किसी व्यक्ति या पुजारी को वैधानिक पट्टा दिया गया है तो पट्टेदार को आर्थिक सहायता की पात्रता होगी।

खलिहान में रखी या खेत में पड़ी हुई फसल किसी फसलों के प्राकृतिक प्रकोपों से या आग लगने से नष्ट हो जाती है तो आर्थिक सहायता दी जाती है और उन रकबा क्षेत्रों के फसल के विक्रय की अनुमति नहीं होगी।

पशुपालन : लघु और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन पशु मालिकों को सहायता : क्षति के लिए पीड़ित को आर्थिक सहायता देय होगा चाहे यह खातेदार हो या भूमिहीन।

दुधारू पशु भैंस, गाय, उंटनी, याक, मिथुन के लिए 37 हजार 500 रूपए, भेड़, बकरी और सुअर के लिए 4 हजार रूपए। ऊंट, घोड़ा, बैल, भैंसा के लिए 32 हजार रूपए, बछड़ा, गधा, खच्चर/ टट्टू, हेफर के लिए 20 हजार रूपए, मुर्गी के लिए प्रति मुर्गी 100 रूपए देने का प्रावधान है। उपरोक्त पशु-पक्षियों के लिए सहायता आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं के वास्तविक नुकसान तक हो सकती है और यह 3 बड़े दुधारू पशुओं या 30 छोटे दुधारू पशुओं या 3 बड़े गैर-दुधारू पशुओं या 6 छोटे गैर-दुधारू पशुओं की अधिकतम सीमा के अधीन होगी तथा इस बात पर ध्यान दिए बिना प्रदान की जाएगी कि किसी परिवार की भारी मात्रा में पशुओं की क्षति हुई है अथवा नहीं। जानवरों के नुकसान के दावे पर भी तभी विचार किया जाएगा जब छोटे और सीमांत किसानों / भूमिहीन पशुधन मालिकों के स्वामित्व वाले जानवरों की संख्या और प्रकार राजस्व विभाग या पशुपालन विभाग में पंजीकृत हो। पशुओं के बीमा होने की स्थिति में आर्थिक सहायता की राशि प्राप्त बीमा दावे की सीमा तक समायोजित की जाएगी। यदि एवियन इन्फ्लुएंजा अथवा किसी अन्य ऐसी बीमारी जिसके लिए पशुपालन विभाग के पास पोल्ट्री मालिकों की क्षतिपूर्ति हेतु कोई अलग स्कीम है, के कारण पक्षियों (मुर्गियों) का नुकसान हुआ है तो इन मानदण्डों के अंतर्गत राहत की पात्रता नहीं होगी। घर से जुड़ा पशुओं का बाड़ा की क्षति के लिए प्रति शेड 3 हजार रूपए दी जाएगी।

मछली पालन : चारा, नाव तथा जाल हानि के लिए सहायता : बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछली पकड़ने वालों की नावों (जो मशीन से संचालित न हो एवं जिनका बीमा न कराया गया हो) डोंगियों, मछली पकड़ने तथा अन्य उपकरणों को हुई हानि के लिए नाव पूर्ण नष्ट होने पर 15 हजार रू., नाव आशिक क्षतिग्रस्त होने पर 6 हजार रू., जाल पूर्ण नष्ट होने पर 4 हजार रू., जाल आंशिक क्षति होने पर 3 हजार रूपए देने का प्रावधान है। छोटे एवं सीमांत किसानों को मछली के चारे हेतु इनपुट सब्सिडी 10 हजार रूपए प्रति हैक्टेयर दी जाएगी। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की योजना के तहत प्रदान की जा वाली एकबारगी सब्सिडी को छोड़कर, यदि लाभार्थी किसी अन्य सरकारी योजना के तहत मौजूदा आपदा के लिए पात्र है या कोई सब्सिडी / सहायता प्राप्त की तो उसे यह सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

घरघोड़ा-रायगढ़ मुख्य मार्ग पर अमलीडीह मार्ग किनारे मिले शव की हुई शिनाख्त, जांच में जुटी घरघोड़ा पुलिस

रायगढ़। दिनांक 08.07.2023 के दोपहर अमलीडीह घरघोड़ा-रायगढ़ मुख्य मार्ग किनारे खेत जमीन में मोबाईल टावर के पास एक अज्ञात मृतक का शव पड़े होने की सूचना घरघोड़ा पुलिस को मिली। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही किया गया। अज्ञात मृतक की शिनाख्तगी के लिये घरघोड़ा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से मृतक के फोटो को वायरल किया गया जिसमें मृतक की शिनाख्त बालेश्वर राय पिता बिफल राय उम्र 34 वर्ष सा. कोरवाबहरी थाना नारायणपुर जिला जशपुर (छ.ग.) के रूप में हुई, मृतक के परिजनों द्वारा आकर पहचान किया गया है। शिनाख्तगी उपरांत आज मृतक के शव का शासकीय अस्पताल घरघोड़ा में पोस्ट मार्टम कराया गया है। घरघोड़ा पुलिस मृतक के मृत्यु की कारणों की जांच की जा रही है।

आश्रम छात्रावास में चेकअप के लिए निजी डॉक्टरों से 12 जुलाई तक पंजीकृत डाक से आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर से जारी आदेश और निर्देश के अनुसार सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में संचालित छात्रावास आश्रमों में वर्ष 2023-24 हेतु प्रवेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना 2007 अंतर्गत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के निजी प्रैक्टिशनरो जिनकी योग्यता एमबीबीएस, बीएएमएस एवं बीएचएमएस डिग्रीधारी चिकित्सकों से एक या एक से अधिक संस्थाओं (छात्रावास आश्रम) के लिए 12 जुलाई 2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। निजी प्रैक्टिशनरों चिकित्सकों को जिले में स्वीकृत 50 सीटर छात्रावास आश्रमों में प्रवेश लिए छात्र छात्राओं के लिए चिकित्सकीय परीक्षण हेतु 750 रुपए प्रति भ्रमण एवं 100 सीटर छात्रावास आश्रम में छात्र-छात्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु 1200 रुपए प्रति भ्रमण मानदेय भुगतान किया जाएगा। निजी चिकित्सक माह में कम से कम 2 बार छात्रावास आश्रमों के छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। निजी चिकित्सक प्रत्येक छात्रावास आश्रम के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत एक स्वास्थ्य पंजी में विवरण दर्ज करेंगे।

इच्छुक निजी चिकित्सक अपने लेटर पैड में आवेदन पत्र के साथ शासकीय या मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज, संस्था से उत्तीर्ण चिकित्सक डिग्री एवं चिकित्सकीय कार्य का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र स्थाई या अस्थाई मोबाइल नंबर, वर्तमान पता तथा भारतीय स्टेट बैंक का खाता का प्रथम पृष्ठ (जहां फोटो चस्पा हो) की छायाप्रति के साथ कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कलेक्ट्रेट सारंगढ़ में निर्धारित तिथि तक कार्यालय समय में पंजीकृत डाक से भेजा जाए। आवेदन पत्र सीधे कार्यालय में नहीं लिया जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। नए अभ्यर्थी उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन कर सकेंगे। निजी चिकित्सकों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के द्वारा पात्रता के आधार पर किया जाएगा। चिकित्सकीय कार्य हेतु अनुबंध के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कार्यालय कलेक्ट्रेट सारंगढ़ से प्राप्त किया जा सकता है।

गेरवानी मछली पसरा के पास 19 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, पूंजीपथरा पुलिस की अवैध शराब पर कार्यवाई

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में कल पूंजीपथरा पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम गेरवानी मछली पसरा के पास 19 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ ग्राम लाखा के कार्तिक राम कंवर को पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक कल शाम थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस को मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति लाखा की ओर से अवैध शराब पैदल लेकर गेरवानी की ओर बिक्री के लिए लेकर आ रहा है। थाना प्रभारी ने तत्काल स्टाफ कार्रवाई के लिये रवाना किया गया , पुलिस टीम ने गेरवानी मछली भसरा के पास घेराबंदी कर संदेही-कार्तिक कंवर को 19 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़े। आरोपी कार्तिक राम कंवर ने अवैध बिक्री के लिये शराब लेकर जाना बताया। आरोपी कार्तिक राम कवंर स्व असाडू राम कवंर उम्र 40 साल ग्राम बडगांव थाना पूंजीपथरा के विरूद्ध थाना पूंजीपथरा में धारा 34(2)59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है। शराब रेड कार्रवाई में सउनि जयराम सिदार, विजय कुमार एक्का एवं आरक्षक नरेन्द्र पैंकरा शामिल थे।

तमनार पुलिस ने छापेमारी में पकड़ी 12 लीटर महुआ शराब, शराब बेचने वाला आरोपी गया जेल

रायगढ़। अवैध शराब पर कार्रवाई के क्रम में कल टीआई तमनार निरीक्षक आर्शीवाद राहटगांवकर के नेतृत्व में तमनार पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम कठरापाली के सुरेश रात्रे के घर शराब रेड कार्यवाही किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि सुरेश घर अपने कोला बाडी में अवैध महुआ शराब रखा है जिसे अवैध रूप से बिक्री करता है। पुलिस ने रेड कार्रवाई में आरोपी के कोलाबाड़ी से कोल्ड ड्रिंक बोटल में रखे करीबन 12 लीटर महुआ शराब कीमती 2400 रुपये का सुरेश रात्रे से बरामद किया गया। आरोपी सुरेश रात्रे पिता रुपाउ रात्रे उम्र 35 वर्ष सा कठरापाली थाना तमनार के कृत्य पर थाना तमनार में आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड में पेश कर जेल दाखिल किया गया है। शराब रेड कार्रवाई में टीआई तमनार निरीक्षक आर्शीवाद राहटगांवकर तथा सहायक उप निरीक्षक खेमराज पटेल, प्रधान आरक्षक संतोष कुर्रे, उषारानी,आरक्षक भूपेश राठिया, भीष्मदेव सागर और किशोर कुल्लू शामिल थे।

आईटीआई सारंगढ़ के प्लेसमेंट कैम्प में 965 युवा पंजीकृत : एक सप्ताह में चयनितों को दी जाएगी नियुक्ति पत्र

सारंगढ़ बिलाईगढ़। जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को निजी क्षेत्र में नियोजित करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आईटीआई सारंगढ़ में शनिवार को मेगा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया। इसमें 965 युवाओं ने पंजीयन किया, जिसमें 8 निजी फर्मों में रिक्त 660 पदों के विरूद्ध 185 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। शेष रिक्तियों की चयन प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को आफर लेटर वितरित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस प्लेसमेंट कैंप में कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर,सेल्समैन, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रण्ट ऑफिस एसोसिएट, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, गेस्ट सर्विस एसोसिएट और रिटेल सेल्स एसोसिएट (केवल महिलाओं के लिए), सिक्योरिटी गार्ड और फील्ड स्टाफ के रिक्त पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

बेटियों के सपनों को सहारा देती मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना : शिक्षा और रोजगार का सपना हो रहा साकार

रायपुर। प्रदेश में श्रमिकों की बेटियां अब अपने सपने बुन रहीं हैं और सफलता की राह में आगे बढ़ रही है। प्रदेश सरकार की नोनी सशक्तिकरण योजना बेटियों को शिक्षित और सक्षम बनाने के लिए मददगार साबित हो रही है। योजना से मिले सहारे ने बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार, छत्तीसगढ़ के श्रमिक परिवारों की बेटियों के शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से नोनी सशक्तिकरण योजना संचालित कर रही है।

धमतरी जिला मुख्यालय के गोकुलपुर वार्ड की रहने वाली माधुरी गुप्ता खुद तो रोजी-मजदूरी का काम करती है लेकिन उसकी हमेशा से इच्छा रही है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। माधुरी शिक्षा के महत्व को समझती है। माधुरी बताती हैं कि पति की तबीयत खराब होने के बाद परिवार में वह अकेली कमाने वाली है। उसके लिए चार बच्चों की परवरिश और पढ़ाई-लिखाई करवाना आसान काम नहीं था। लेकिन माधुरी ने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया ताकि वे आगे बढ़ सकें। अभिभावक के तौर पर माधुरी ने अपनी जिम्मेदारी निभाने की भरपूर कोशिश की और अपने बच्चों को जीवन में हर परिस्थिति का डटकर सामना करने की सीख दी। मेहनत-मजदूरी के साथ-साथ बच्चों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित करती रहीं। उनके इस संघर्ष को मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का सहारा मिला और वह अब अपनी बेटी को आगे पढ़ा रही है। नोनी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से मिले आर्थिक सहयोग से माधुरी ने अपनी बेटी को 12वीं की पढ़ाई कराई और अब आगे उसका दाखिला आईटीआई में करवा रही है।

गौरतलब है कि धमतरी जिले में मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के बेहतर क्रियान्वयन से अब तक 1,999 हितग्राहियों को कुल 3 करोड़ 99 लाख 80 हजार रूपए की सहायता प्रदान की गई है।

धरदेई के रीपा में मिनरल वाटर, फर्नीचर, पीनट चिक्की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना रही महिलाएं : उत्पादित सामग्री के परिवहन के लिए मिलेगा ई-रिक्शा

रायपुर। बेमेतरा जिले के धरदेई गौठान में संचालित रीपा का नजारा देखकर सुखद एहसास होता है। यहां गांव की महिलाओं और पुरूष अपनी-अपनी आय उपार्जन की गतिविधियों में पूरे मनोयोग से जुटे दिखाई देते हैं। गौठान में संचालित ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) वास्तव में एक सुविधायुक्त औद्योगिक केन्द्र का रूप ले चुका है। रीपा में महिलाएं मिनरल वाटर, पीनट चिक्की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी तैयार कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर फर्नीचर का निर्माण भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और ग्रामीणों को गांव मे ही स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से पथरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम धरदेई में महात्मा गॉधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) की स्थापना की गई है। कलेक्टर राहुल देव ने बीते दिनों रीपा का आकस्मिक यहां स्व सहायता समूह की महिलाओं और पारंपरिक उद्यमियों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का अवलोकन किया तथा उत्पादन लागत, विपणन तथा उससे होने वाली आमदनी की जानकारी ली। महिला समूह द्वारा तैयार पीनट चिक्की को चखकर गुणवत्ता परखी और सराहना करते हुए अपने लिए क्रय भी किया। समूह की महिलाओं ने बताया कि मार्च माह से मिनरल वॉटर का उत्पादन और विक्रय किया जा रहा है। अब तक 48 हजार रुपए का मिनरल वाटर विक्रय किया जा चुका है। बाजार में इसकी अच्छी मांग है। पाउच मशीन के खराब होने की मिलने पर कलेक्टर ने तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने रीपा में काम करने वाले समूहों और उद्यमियों की अच्छी आमदनी हो, इसके लिए बेहतर कार्य योजना और उत्पादित सामग्रियों के परिवहन हेतु ई-रिक्शा भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। धरदेई के रीपा में महिलाओं और पारंपरिक उद्यमियों द्वारा फर्नीचर, पीनट चिक्की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसी विभिन्न आय मूलक गतिविधियां संचालित की जा रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480